Regarding cases of suicide

श्री अतुल गर्ग **(**गाजियाबाद**) :** महोदया, मैं आपका ध्यान कानून-व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं । जो लोग झूठी गवाहियां देते हैं, झूठे केसेज़ करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है । आज साढ़े तीन करोड़ क्रिमिनल केसेज़ और डेढ़ करोड़ केसेज़ चल रहे हैं । झूठ बोलने वाले आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि सेक्शन 215(1) में केवल जज ही उसके ऊपर रेकग्निजेशन ले सकता है । जो पीड़ित है, वह कोई केस नहीं कर सकता है । लॉ का दुरुपयोग करने की वजह से बहुत सारे लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है । बहुत सारे केसों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक टाला जा सकता है ।?(व्यवधान)

पिछले दिनों झूठ बोलने के कारण एक बहुत बड़ा केस हुआ था । अतुल सुभाष जैसे एक होनहार इंजीनियर को भी आत्महत्या करनी पड़ी थी । जो लोग कोर्ट में झूठ बोलते हैं, वे केवल जजों की रहम पर हैं । कोई जज झूठ बोलने वाले पर केस नहीं करता है । जो पीड़ित पक्ष है, वह भी झूठ बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सके, ऐसा नियम बनना चाहिए ।?(व्यवधान)